प्रश्न 22—संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया विहित है? न्यायिक निर्णयों का हवाला देते हुए विवेचना कीजिए। **[U.P. P.C.S. (J.) 2000]**

उत्तर—उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है [अनु० 124 (2)] किन्तु इस मामले में राष्ट्रपति को कोई वैवेकिक शक्ति नहीं है। अनु 124 (2) के अनुसार, राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से 'परामर्श' (consultation) करने के पश्चात् जिसे इस प्रयोजन के लए वह आवश्क समझे; ही करेगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वदा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेगा। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से भी परामर्श कर सकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की राष्ट्रपति की शक्ति एक औपचारिक शक्ति है, क्योंकि वह मन्त्रिमण्डल की सलाह से कार्य करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में संविधान ने कार्यपालिका को आत्यन्तिक (absolute) शक्ति नहीं प्रदान की है।

जहां तक मुख्य न्यायमूर्ति का प्रश्न है, अनुच्छेद 124 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को संविधान द्वारा विहित अर्हता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को मुख्य न्यायामूर्ति नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। किन्तु अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लेने के लिए बाध्य है। यद्यपि अनुच्छेद 124 में इस बात का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्ति किया जा सकता है। संविधान में इस प्रकार की बाध्यता न होने के बावजूद भी प्रारम्भ से ही उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायमूर्ति के पद पर नियुक्त करने की एक परम्परा चली आ रही थी।

केशवानन्द भारती बनाम **केरल राज्य,** ए० आई० आर० 1973 एस० सी० 1461 के निर्णय के बाद वरिष्ठता क्रम की उपेक्षा करके भी अजित नाथ रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसका प्रमुख कारण केशवानन्द **भारती** के वाद में तीन न्यायाधीशों (शेलट, हेगड़े, ग्रोवर) द्वारा सरकार के विरुद्ध दिया गया निर्णय था। ये तीनों न्यायाधीश श्री 'रे' से वरिष्ठ थे।

उपर्युक्त निर्णय की तीव्र आलोचना हुई परन्तु सरकार ने (i) संवैधानिक उपबन्ध, (ii) विधि आयोग की सिफारिश, (iii) अन्य देशों की नजीरें, (iv) न्यायाधीशों का सामाजिक दर्शन, (v) न्यायामूर्तियों के कार्यकाल की अधिकता, इत्यादि आधारों का सहारा लेकर अपने इस कदम को उचित ठहराने का प्रयास किया।

1978 में जनता सरकार ने पुन: वरिष्ठता की कसौटी के आधार पर न्यायाधिपति श्री चन्द्रचूड़ को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर इस विचार को समाप्त कर दिया। वरिष्ठता की कसौटी यद्यपि एक बहुत अच्छी कसौटी नहीं कही जा सकती है किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह विवाद से परे है जो न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के लिए आवश्यक है।

न्यायिक निर्णय—

कार्यपालिका की प्रमुखता—

एस० पी० गुप्त बनाम **भारत संघ**, ए० आई० आर० 1982 एस० सी० 149 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनु० 124 में प्रयुक्त "परामर्श" (consultation) शब्द से तात्पर्य "पूर्ण एवं प्रभावी परामर्श" है। बहुमत का निर्णय यह था कि 'परामर्श' मानने के लिए राष्ट्रपति वाध्य नहीं है। इस वाद में कार्यपालिका को प्रमुखता दी गयी।

न्यायालय की प्रमुखता—एस० सी० एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम **भारत संघ,** (1993) 4 एस० सी० सी० 44 के मामले में **एस० पी० गुप्ता** बनाम **भारत संघ,** के निर्णय को उलटते हुए बहुमत ने यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मत को सर्वोच्च महत्व देना चाहिए जो वह अपने सहयोगियों से परामर्श करके व्यक्त करता है और कार्यपालिका को केवल अयोग्य नियुक्तियों को रोकने की अनुमति होगी जो वे मुख्य न्यायाधिपति को कारण बताकर ही कर सकती है। बहुमत ने यह निर्णय दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधिपति के पद पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की ही नियुक्ति की जायेगी।

अनुच्छेद 124 में 'परामर्श' शब्द के प्रयोग को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि किसी को भी विवेकीय शक्ति नहीं दी जा सकती है, भले ही वह व्यक्ति प्रधानमन्त्री या मुख्य न्यायाधिपति हो। जहां तक प्राथमिकता की बात है तो सरकार के ऊपर मुख्य न्यायाधिपति के निर्णय को प्राथमिकता दी जायेगी। नियुक्ति की प्रक्रिया एक भागीदारी की प्रक्रिया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण को कुछ सीमित आधारों (परामर्श का अभाव तथा अर्हता का अभाव) पर ही न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त किसी भी आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं होगा।

वर्तमान स्थिति—न्यायालय की प्रमुखता—उच्चतम न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने **इन री प्रेसीडेन्सिपल रिफरेन्स** ए० आई० आर० 1999 एस० सी० 1 (उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण मामले के नाम से प्रसिद्ध) मामले में सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया गया कि 1993 के **"एस० सी० एडवोकेट्स वाद"** में प्रतिपादित परामर्श प्रक्रिया का पालन किए बिना मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिशों को मानने के लिए कार्यपालिका बाध्य नहीं है। ज्ञातव्य है कि 1993 में **एस० सी० एडवोकेट्स आन रिकार्ड** के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश को प्रमुखता दी जायेगी किन्तु यह सिफारिश वह अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात् ही सरकार को भेजेगा।

पिछले मुख्य न्यायाधीश श्री एम० एम० पुंछी न भाजपा सरकार को न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिश को भेजा। ऐसा पता चला था कि उन्होंने मनमाने ढंग और अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किए

बिना राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेजी थी। सरकार ने उसे रोक लिया और इस पर उच्चतम न्यायालय की सलाह माँगी।

9 सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय सुनाते हुए न्यायमूर्ति श्री एस० पी० भरूचा ने परामर्श प्रक्रिया को अधिक विस्तृत कर दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायमूर्तियों के समूह से (a collegium of four seniormost Judges) परामर्श करके ही राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेजना चाहिए। 1993 के निर्णय में केवल दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करने की बाध्यता थी। भारत के भावी मुख्य न्यायाधीश को भी न्यायाधीशों के समूह में सम्मिलित होना चाहिए। अनुच्छेद 124 (2) में प्रयुक्त 'परामर्श' शब्द का तात्पर्य अनेक न्यायाधीशों (Plurality of judges) के परामर्श से है। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश का अकेले का मत परामर्श प्रक्रिया नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि न्यायाधीशों के समूह को अपना परामर्श आम राय (consensus) से देना चाहिए। यदि परामर्श प्रक्रिया में सम्मिलित दो न्यायाधीश किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश का विरोध करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को सिफारिश नहीं भेंजेगे।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उच्चतम न्यायाल का उक्त निर्णय समीचीन है। यद्यपि वर्तमान निर्णय में भी न्यायापालिका की सर्वोच्चता बनी रहेगी परन्तु वह और अधिक लोकतान्त्रिक, पारदर्शी तथा निष्पक्ष होगी। मुख्य न्यायाधीश अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा क्योंकि उसे उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह (a colleginm of four senior most judges of Supreme Court) से परामर्श करके ही नियुक्ति सम्बन्धी सिफारिश भेजनी होगी। यह प्रक्रिया अधिक लोकतान्त्रिक है और इसके दुरुपयोग किए जाने की संभावना कम है।